:: न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा जिला–डूँगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारीः– विवेक गुर्जर, RAS

दायर दिनांकः–31.05.2024

प्रकरण सख्याः–38 / 2024

1. श्री कावा पिता कलजी जाति मीणा
2. श्री गोविन्द पिता कलजी जाति मीणा
3. श्री चन्दु पिता कलजी जाति मीणा
4. श्री प्रकाश पिता कलजी जाति मीणा
5. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी कलजी जाति मीणा
   निवासीयान नागरिया पंचेला तहसील सीमलवाड़ा

—प्रार्थीगण

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थितः–
1. अधिवक्ता श्री श्रवण रावल प्रार्थीगण की ओर से।
2. पेरोकार सरकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक 13 / 10 / 2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण गांव नागरिया पंचेला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी है। प्रार्थीगण खेतीबाडी कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा नागरिया पंचेला में खाता संख्या नया 31, पुराना खाता संख्या 17, खसरा नम्बर 1456 / 118 खेत किता 1. रकबा 0.7446 हैक्टेयर होकर स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थना पत्र कारण आज से एक सप्ताह पूर्व प्रार्थीगण ने अपने के कब्जे काश्त की कॉलम संख्या 2 में अंकित आराजी में काश्त करने गये तो कतिपय अन्य लोग उक्त आराजी में आकर उक्त आराजी की भुमी को अपनी बताकर सीमा विवाद करने लगे। जिस पर प्रार्थीगण ने कहा कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम के अनुसार ही काबिज होकर काश्त कर रहे है। ऐसे में तुम्हे कोई झंगडा करने का हक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने ने राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी व नक्शा दिखाकर समझाने की काफी कोशिश की लेकिन कतिपय लोग जबरन विवाद करने लगे। कतिपय लोग जबरन अवैध अतिक्रमण कर पत्थर डाल रहे है। प्रार्थीगण ने समझाने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार ही नहीं हुए तथा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

जबरन विवाद कर वादग्रस्त आराजी को अपनी बताने लगे तथा प्रार्थीगण की आंराजी सीमा पर निशानदेही होने के बावजुद सीमा विवाद कर रहे है। ऐसे में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की पत्थर गढी कर सीमाकीत किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कब्जा होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण की आराजी में सीमा विवाद करने लगे। जिससे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थर गढी करना आवश्यक हो गया जिससे म्याद अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थीगण ने अपनी कॉलम संख्या 2 में अंकित आराजी की पैमाईश तहसील कार्यालय सीमलवाडा से कराई गई है। लेकिन उसके बावजुद कतिपय लोग विवाद करने से पत्थर गढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण के कमाई का एकमात्र जरीया कृषि है ऐसे में वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर वंचित हो जाएगा। तथा प्रार्थीगण का परिवार मुखा मर जाएगा। प्रार्थीगण को भारी आर्थिक क्षति होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाने आवश्यक है कि वे प्रार्थीगण आराजी मौजा नागरिया पंचेला में खाता संख्या नया 31. पुराना खाता संख्या 17, खसरा नम्बर 1456/118 खेत किता 1, रकबा 0.7446 हैक्टेयर भूमि पर किसी प्रकार का विवाद नहीं करे व प्रार्थीगण को काश्त में रूकावट उत्पन्न नहीं करे। दिनांक 08/05/2023 को पैमाइश की गई है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा नागरिया पंचेला में खाता संख्या नया 31, पुराना खाता संख्या 17, खसरा नम्बर 1456/118 खेत किता 1, रकबा 0.7446 हैक्टेयर भूमि का वादग्रस्त आराजी का पत्थर गढी कराने आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा अपने जवाब में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित खाता संख्या 17 खसरा संख्या 1456/118 रकबा 0.7446 हैक्ट. भूमि के खातेदार कावा, गोविन्द, चन्दू, प्रकाश पुत्र कलजी, लक्ष्मी पत्नी कलजी के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होने के तथ्य को स्वीकार किया है तथा शेष तथ्यों को प्रार्थी द्वारा स्वयं के स्तर से सिद्ध कराना बताया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण, उक्त खातेदारी भूमि की पत्थर गढी, पत्थर लगा कर, स्थाई सीमा चिन्हों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ कराना चाह रहे है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र न्यायसंगत होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

::आदेश::

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थीगण की गांव मौजा नागरिया पंचेला के जमाबन्दी खाता संख्या 17 के खसरा संख्या 1456/118 खेत किता 1 रकबा 0.7446 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसका सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीगण पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है। अतः तहसीलदार सीमलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की गांव मौजा नागरिया पंचेला के जमाबन्दी खाता संख्या 17 के खसरा संख्या 1456/118 खेत किता 1 रकबा 0.7446 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही के दौरान निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित होवें:–

1. पत्थरगढ़ी की फीस प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवायें।
2. पत्थरगढ़ी की कार्यवाही से पूर्व, पडौसी खातेदारान को विधिवत् सूचित कर उभयपक्षकारान की उपस्थिति विधिक प्रक्रियानुसार पत्थरगढ़ी की कार्यवाही सम्पादित करें।
3. पत्थरगढ़ी के माध्यम से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को कब्जा हस्तांतरण न करें।
4. मौके पर कब्जा सम्बन्धी वाद है तो इस आदेश की पालना में किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करें।
5. कब्जा सम्बन्धी मामलों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में पृथक् से प्रावधान है। उस प्रक्रिया के माध्यम से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

तहसीलदार सीमलवाड़ा आदेश की पालना कर रिपोर्ट न्यायालय में अविलम्ब पेश करें। तहसीलदार तहसील सीमलवाड़ा, थानाधिकारी पुलिस थाना धम्बोला को तहरीर जारी कर, माकुल पुलिस जाब्ता प्राप्त करें।

(विवेक गुर्जर, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उक्त निर्णय आज दिनांक 13/10/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा